नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
की तारीख
हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

अपील सं. : 62/2020 दायर दिनांक 04.11.2020

नियामतअली पुत्र जीवाखां जाति मुसलमान निवासी चक 2 जी.बी. हिन्दो तहसील श्रीविजयनगर
(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. बरकत अली पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
3. हाकम अली पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
4. गमी खां पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
5. नूरजहां पुत्र पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
6. बाग अली पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
7. असकर अली पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
8. लयाकत अली पुत्र जीवा खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
9. काले खां पुत्र नूरजहानियॉं जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
10. चराग खॉं पुत्र कालेखॉं जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर
11. सराज खॉं पुत्र कालेखॉं जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दौ तहसील श्रीविजयनगर

(रेस्पोडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश पारीक, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 ता 11
3. पैरोकार राज।

:: निर्णय :: दिनांकः– 12.7.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन है कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 11 ने अपने नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 15 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 108/363 व 109/363 में कुल 9.867 है0 कमाण्ड भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया था, जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने के पश्चात् अदालत मातहत ने जरिये मिसल सं. 197 निर्णय दिनांक 26.04.2017 के द्वारा अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 11 के नाम की भूमि का खाता विभाजन स्वीकृत कर दिया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद भी जरिये इन्तकाल सं. 395 दिनांक 28.04.2017 को हो चुका है। अदालत मातहत ने खाता विभाजन करते समय चक 15 एस.एच.पी.डी. के पत्थर नं. 108/363 का किला नं. 14 अपीलांट के नाम भी दर्ज कर दिया व रेस्पो. सं. 2 के नाम भी दर्ज कर दिया। किला न. 14 पर रेस्पो. सं. 2 का ही कब्जा काश्त है। इसी पत्थर नं. 108/363 का किला नं. 12 पर अपीलांट का कब्जा काश्त है, जिसका अंकन मेरे खाते में दर्ज होने से रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है। चूंकि उक्त निर्णय अनुसार इंतकाल दर्ज हो चुका है जिसे इसे अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.4.2017 निरस्त किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो. को जरिये स[illegible] किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारीक तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। उभय पक्ष सुनी गई।
3. सर्वप्रथम हम धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना उचित समझते है। धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की भूमि पर जब रेस्पोडेंट कब्जा करने लगे तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। अपीलांट ने पटवारी से दिनांक 16.10.2020 को नकल प्राप्त की उसके बाद अपीलांट को बुखार होने के कारण दिनांक 04.11.2020 को यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना जाना भी प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है, जिसका न तो वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 11 ने तथा ना ही पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 11 ने अपने नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 15 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 108/363 व 109/363 में कुल 9.867 है0 कमाण्ड भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया था, जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने के पश्चात् अदालत मातहत ने जरिये मिसल सं. 197 निर्णय दिनांक 26.04.2017 के द्वारा अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 11 के नाम की भूमि का खाता विभाजन स्वीकृत कर दिया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद भी जरिये इन्तकाल सं. 395 दिनांक 28.04.2017 को हो चुका है। अदालत मातहत ने खाता विभाजन करते समय चक 15 एस.एच.पी.डी. के पत्थर नं. 108/363 का किला नं. 14 अपीलांट के नाम भी दर्ज कर दिया व रेस्पो. सं. 2 के नाम भी दर्ज कर दिया। किला न. 14 पर रेस्पो. सं. 2 का ही कब्जा काश्त है। इसी पत्थर नं. 108/363 का किला नं. 12 पर अपीलांट का कब्जा काश्त है, जिसका अंकन मेरे खाते में दर्ज होने से रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन भूमि का मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व मौका कब्जा अनुसार विभाजन कर नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील निर्णय नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है। पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए अपील में निर्णय किये जाने बाबत निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 से 11 ने अपील अपीलांट में अंकित तथ्यों का किसी प्रकार से विरोध नहीं करते हुए निवेदन किया कि मुताबिक मौका कब्जा व रिपोर्ट पटवारी जैरअपील भूमि का विभाजन कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाता है तो उन्हें कोई उज्र–एतराज नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश मिसल सं. 197 निर्णय दिनांक 26.04.2017 के अनुसार विभाजन में एक ही किला का रकबा अन्य काश्तकार को भी दिये जाने का उल्लेख करते हुए मुताबिक मौका कब्जा रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने बाबत निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित कथन अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड में शामिल रिपोर्ट पटवारी सर्किल सरदारगढ़ से भी साबित होते हैं जिसमें पटवारी हल्का द्वारा क्रम सं. 2 पर अपीलांट के नाम अंकित चक 15 एस.एच.पी.डी. के पत्थर नं. 109/363 में कम्प्यूटर द्वारा अंकित किला नं. 21 को दुरूस्त कर किला नं. 23 व पत्थर नं. 108/363 में किला नं. 14 को दुरूस्त कर किला नं. 12 अंकित कर पुनः प्रमाणित किया गया है, लेकिन उक्त दुरूस्ती के अनुसार अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.04.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 26.04.2017 निरस्त किया जाता है व पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट व मौका कब्जा देखकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय [illegible] या जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
[illegible] जिला कलक्टर